विचार बिन्दु

क्रोध में हो तो बोलने से पहले दस तक गिनो, अगर ज्यादा क्रोध में तो सौ तक। –जेफरसन

क्या गृहमंत्री शाह की घोषणा कि, नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 नागरिकता देने के लिये है न कि नागरिकता छीनने के लिये, सही है

भारत का नागरिक कौन होगा इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है। साधारण रूप से वह व्यक्ति भारत का नागरिक है जो संविधान के प्रारम्भ होने से पहले भारत का अधिवासी रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 5 में अधिवास की आधारता पर नागरिकता के लिये यह आवश्यक है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता-पिता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। अनुच्छेद 6 में यह उल्लेख है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवजन किया है वह भारत का नागरिक माना जावेगा। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के हेतु हुये भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्य भारत के राजक्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को, जो समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है प्रवजन किया है, भारत का नागरिक नहीं माना जावेगा। अनुच्छेद 10 में यह व्यवस्था है कि किन परिस्थितियों में वह भारत का नागरिक बना रहेगा तथा अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में संसद ने The Citizenship Act, 1955 (Act 57/55) पारित किया। इस कानून के तहत् कोई भी व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है और त्याग भी कर सकता है। इसमें छः संशोधन हो चुके हैं। बहुचर्चित संशोधन, नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 है।

नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है, इस कानून के अनुसार भारत के तीन पड़ोसी देशों से यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर, 2014 से पहले, भारत आने वाले छः धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को, जो भारत के शरणार्थी शिवरों में हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जावेगी यानी वे सीसीए के अनुसार नागरिकता के अधिकारी होंगे। यह छः धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत इस कारण आये हैं कि वहां इन धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न और उन पर प्रताड़ना सहनशीलता की सीमा पार कर चुके हैं। ये तीन देश मुस्लिम जनसंख्या प्रधान देश हैं। भारत में ये लोग जो प्रवासी हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। ये लोग नागरिकता के हेतु आवेदन कर सकते हैं। महात्मागांधी ने कभी कहा था, कि पाकिस्तान से प्रताडित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी व अन्य सुविधायें प्रदान करना चाहिये। 2003 में मनमोहन सिंह जी, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि उन्हें नागरिक देने में हमें उदारता देनी चाहिये। मनमोहन सिंह जी जब भाषण दे रहे थे तब उपसभापति राज्यसभा, नजमा हेपतुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक परेशान हैं। पहले इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अवधि 11 वर्ष तक की थी बाद में इसमें ढील देकर 5 वर्ष तक की गई थी।

नागरिक संशोधन बिल लोकसभा में 10 दिसम्बर, 2019 को तथा राज्यसभा में 19 दिसम्बर 2019 को पारित किया था। 12 दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और विधेयक, अधिनियम बन गया। 10 जनवरी, 2020 से यह अधिनियम प्रभावी है। 20 दिसम्बर 2019 को जो सात शरणार्थी पाकिस्तान से आये थे उन्हें भारतीय नागरिकता देकर अधिनियम को लागू कर दिया था।

सीसीए का विरोध हो रहा है। यह कहकर विरोध है कि मुसलमानों को इस अधिनियम से अलग रखा गया है, इस कारण यह भेदभाव करने वाला कानून है अतः अनुच्छेद 14 के संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। इस प्रकार इस अधिनियम को अनुच्छेद 14 के तहत् विवेकहीन होने के कारण असंवैधानिक कहा जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मुस्लिम 50 प्रतिशत से अधिक हैं अतः अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध जातियां हैं। इसके साथ वहां उत्पीडन हुआ है। इनके हितों की रक्षा के हेतु यह कानून बनाया गया है। मुस्लिम इस केटेगरी में नहीं हैं। अतः भेदभाव का चार्ज उचित नहीं है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019, पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से बहुसंख्यक मुस्लिम देशों के द्वारा सताने, उनका उत्पीड़न होने के फलस्वरूप धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दुओं, सिख, बौद्ध, पारसी व ईसाईयों का भारत की शरण में आने के कारण, उक्त अधिनियम उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है और Universal Declaration of Human Rights, 1948 उसका समर्थन मानव अधिकार के रूप में उसे स्वीकार करता है।

सीसीए, 2019 पारित होने के बाद अभी तक भी इसके तहत् बनने वाले नियम नहीं बन पाये हैं। यह भी सही है कि रूल्स बनाने के हेतु सभी Administrative Frme Work उपलब्ध हैं। अधिनियम, 2019 बनने के बाद होम मिनिस्टरी की मशीनरी ने पार्लियामेण्ट कमेटी से 9 बार समय अवधि बढ़वाई है। 9 जनवरी 2024 तक की मियाद संसद ने दी है और 30 मार्च 2024 की मियाद राज्य सभा ने दी है।

चूंकि गृहमंत्री शाह ने 11.02.2024 को घोषणा की है कि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले कानून लागू हो जायेगा, जिसका अर्थ है रूल्स, बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, विज्ञप्ति जारी करने की प्रतीक्षा है।

यह भी आपत्ति उठाई गई है कि सीसीए 2019 आसाम अकोर्ड, 1985 के विरूद्ध है। इस आपत्ति में कोई गम्भीरता नहीं है, क्योंकि सीसीए, 2019 अधिनियम पारित हो चुका है। सीसीए, 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में लम्बित हैं। केन्द्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में इसे हितकारी कानून कहा है। आसाम अकोर्ड, 1985 में 24.03.1971 को cut-off date माना है।

सीसीए, 2019 का विरोध आसाम के राज्य क्षेत्रों में बहुत हो रहा है। इसके विरोध में 16 राजनैतिक पार्टियां व 30 एनजीओ ने आन्दोलन प्रारम्भ भी कर दिये हैं। आन्दोलन में सार्वजनिक सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ है। एक ओर राज्य सरकार ने आन्दोलनकारियों को चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की वसूली आन्दोलनकारियों से की जावेगी। दूसरी ओर आन्दोलनकारियों ने घोषणा की है 9 मार्च 2024 को पीएम मोदी के आगमन पर राज्य व्यापी बंद किया जावेगा। इस संबंध में कुछ पार्टियों ने गवर्नर माननीय गुलाब चंद कटारिया को प्रतिवेदन कर सूचित किया है कि आसाम ने शरणार्थियों को अब तक बहुत सहन किया है, उनका बोझा ढोया है, किन्तु अब नहीं सहेंगे। उच्च पुलिस अधिकारी ने (डि. जनरल ऑफ पुलिस) ने आन्दोलनकारियों को चेतावनी दी है कि उनसे सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की कीमत 1043 करोड़ रूपये वसूल की जावेगी।

कुछ भी हो सीसीए 2019 को लेकर आसाम में बड़ी घटनायें चुनाव के समय हो सकती हैं, क्योंकि शाह यह तो घोषित कर ही चुके हैं कि चुनावों की तारीख की घोषणा से पहले रूल्स बनाकर सीसीए, 2019 लागू कर दिया जावेगा।

गृहमंत्री की यह घोषणा कि सीसीए नागरिकता देने का कानून है न कि किसी की नागरिकता छीनने का कानून, यह सही प्रतीत होता है। धार्मिक अल्पसंख्यक यानी हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में थे, और वहां बहुसंख्यक मुस्लिमों से उत्पीडित होकर गम्भीर रूप से सताये जाने पर अपने देश भारत को आये हैं और भारत की शरण में हैं, उन्हें अपने देश में बसने का अधिकार तो होना ही चाहिये। उन्हें संरक्षण मिलना चाहिये। मानव धर्म का भी तकाजा है कि शरणार्थी को अपने देश में बसने का अधिकार दिया जावे। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा से जीने का अधिकार देता है, उसके लिये यह आवश्यक भी नहीं है कि वह देश का नागरिक हो। तीनों देशों से आये हुये शरणार्थियों से भारत की अखण्डता व सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हैं। Universal Declaration of Human Rights, 1949 के अनुच्छेद 13(2) स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह व्यक्ति जो अपना देश छोड कर जाता है, उसे वापिस वहां लौटने का अधिकार है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:–

"Art. 13(2) - Every one has the right to leave any country, including his own, and to return to his country."

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019, पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से बहुसंख्यक मुस्लिम देशों के द्वारा सताने, उनका उत्पीड़न होने के फलस्वरूप धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दुओं, सिख, बौद्ध, पारसी व ईसाईयों का भारत की शरण में आने के कारण, उक्त अधिनियम उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है और Universal Declaration of Human Rights, 1948 उसका समर्थन मानव अधिकार के रूप में उसे स्वीकार करता है। यों भी उक्त कथन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है अतः बाध्यकारी है। मानव अधिकार के रूप में यह अधिकार देश की अदालतों में प्रवर्तनकारी भी है।

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

रामबाग गोल्फ क्लब

- **शहर का एक मात्र गोल्फ कोर्स, शहर के मध्य होने पर शहर का हृदय या पर्यावरण की भाषा में बोले तो शुद्ध हवा के लिये फैफडों का काम करता है।**

रामबाग गोल्फ क्लब सदैव ही अखबारों की सुर्खियों में रहा है चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माताओं जैसे कि बी.एम.डब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज आदि के गोल्फ टूर्नामेन्ट हो या चाहे जे.डी.ए. द्वारा हाल ही में कुछ हिस्से पर निर्माण कार्य पर ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही। शहर का एक मात्र गोल्फ कोर्स, शहर के मध्य होने पर शहर का हृदय या पर्यावरण की भाषा में बोले तो शुद्ध हवा के लिये फैफडों का काम करता है।

गोल्फ क्लब की स्थापना 1946 में जयपुर के राज परिवार द्वारा पोलो और गोल्फ को बढ़ावा देने के लिये की थी। वैसे तो भारत में गोल्फ की शुरूआत अंग्रजों द्वारा कलकत्ता के रायल गोल्फ क्लब की स्थापना वर्ष 1829 में हुई और फिर बम्बई; बोम्बे प्रेसीडेंसी क्लब 1927 और शिलांग में वर्ष 1898 में गोल्फ क्लब की शुरूआत हुई। बाद में यह खेल दिल्ली, बैंगलोर, पुणे में स्थापित होने के बाद भारत के सभी शहरों में खेला जाने लगा। यहां तक कि सेना द्वारा खेले जाने वाले प्रमुख खेलों में गोल्फ की वरियता काफी ऊपर है। सुरक्षाबलों के प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत निवास राष्ट्रपति भवन में भी गोल्फ कोर्स का रखरखाव, मुगल गार्डन से कम नहीं है।

राजपरिवार द्वारा जयपुर को दिया हुआ यह क्षेत्र जे.डी.ए. द्वारा गोल्फ, पोलो और सेन्ट्रल पार्क के रूप में संरक्षित है। जे.डी.ए. के प्रमुख, गोल्फ क्लब के अध्यक्ष के रूप में गोल्फ क्लब की कार्यकारिणी में समय समय पर अपना सुझाव और सहयोग देते है। यहाँ के सदस्य राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के अलावा नामी वकील, पत्रकार, प्रमुख चिकित्सक, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक, रेल्वे, बैंकों अन्य अंतराष्ट्रीय खेलों के खिलाडी और प्रमुख उद्योगपति है। गोल्फ क्लब सदस्यों की संख्या लगभग ढाई हजार है और यह क्लब अन्य गोल्फ क्लब के सदस्यों और शहर आए विदेशी पर्यटकों के लिये भी अपनी सेवाएं देता है।

जयपुर के मध्य 85 एकड की जमीन पर फैला गोल्फ क्लब, 22 एकड में पोलो क्लब एवं 129 एकड सेन्ट्रल पार्क के रूप में जे.डी.ए. द्वारा विकसित क्षेत्र, लगभग 250 एकड पर्यावरण की दृष्टि से एक शुद्ध हवा के लिये फेफडों का काम करता है। शहर की ए.क्यू.आई.;हवा की गुणवक्ता का सूचकांकद्ध बद से बदतर होता जा रहा है। वहीं यह 250 एकड में फैला हुआ ईकॉलोजिकल क्षेत्र शहर की हवा के लिये एक वरदान है। गोल्फ क्लब में लगे सैकड़ों पुराने पेड़ गोल्फ क्लब की शोभा होने के साथ, खेल में कठिनाई स्तर को बढाते है और खेल में रोमांच पैदा करते हैं। पेड़ गोल्फ कोर्स की कठिनाई से उसका स्तर और उसकी वरियता को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि खाली और सपाट मैदान पर गोल्फ खेलना रोमांचपूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि गोल्फ क्लब में एक पूर्ण विकसित नर्सरी पूरे वर्ष पेड-पौधे, घास आदि तैयार करती रहती है। पेडों के विभिन्न देसी प्रजाति के अलावा गोल्फ क्लब में प्रलुप्त हुई जाति जैसे कि रोहडा, खेजडी आदि के भरपूर पेड़ है जो कि पक्षियों के लिये वरदान है। गोल्फ क्लब में करीब 70 प्रकार के प्रवासी और अप्रवासी पक्षी अपना बसेरा बनाते है।

गोल्फ कोर्स पर्यावरण की दृष्टि से भी शहर के भू-जल के स्तर को ऊपर लाने में सहयोग करता है। गोल्फ कोर्स की रचना इस प्रकार की जाती है कि वर्षा का पानी एक जगह कच्ची जमीन में धीरे धीरे रिसकर भू-जल में मिल जाता है। गोल्फ कोर्स में कहीं भी पक्की सतह ना होने के कारण वर्षा का औसतन नब्बे प्रतिशत पानी संरक्षित हो जाता है सिर्फ रामबाग गोल्फ क्लब के कोर्स की ही बात करे तो वर्षा काल में एक दिन में करीब एक करोड लीटर पानी जयपुर के भू-जल में समा जाता। जल संरक्षण योजना में गोल्फ क्लब में शहर के गंदे पानी के नाले के पानी को उसे साफ करके, कृषि योग्य पानी से सिंचाई करने का अग्रणीय कार्य किया है। यह पानी लगभग दस लाख लीटर प्रतिदिन पीने योग्य पानी को बचाता है। इसी योजना के तहत पूरे गोल्फ कोर्स में पाईप का जाल फैला कर, फव्वारे द्वारा सिंचाई जो कि हवा में नमी बढाने और तापमान को कम करने का कार्य करती है। गोल्फ कोर्स के आसपास औसतन तापमान दो डिग्री कम होता जो कि सुबह-शाम सेन्ट्रल पार्क में आने वाले महसूस करते हैं।

गोल्फ कोर्स की संरचना-

विश्व में सभी गोल्फ कोर्स की संरचना वहां की जलवायु, जगह की ढलान और भू-जल की उपलब्धता को देखकर की जाती है। रामबाग गोल्फ क्लब की संरचना यहां पर रेत के ढेरों पर कुछ जगह घास को उगाकर की गई थी। राजपरिवार, सरकार और सदस्यों के अधक प्रयासों से यह 85 एकड की जमीन पर अठारह होल बने हुए है। एक होल की शुरूआत 'टी. बाक्स' से होती है जहां पर अधिकतम चार खिलाड़ी, क्रम हैण्डी केप की वरीयता के अनुसारद्ध से बॉल को बल्ले-जिन्हें अंग्रेजी भाषा में वुड या आईरन कहते हैं से मारते हैं। वहां से शुरू होता है, एक खुला क्षेत्र जिसे 'फेयर वे' कहा जाता है जो कि होल के अंतिम छोर जिसे 'पट्टीग ग्रीन' कहते है, के बीच का हिस्सा होता है। 'टी बाक्स' से 'पट्टीग ग्रीन' की दूरी को 'पार' द्वारा सम्बोधित किया जाता है और दूरी अनुसार तीन-चार-पांच या छह 'पार' के विभिन्न होल का समूह 'कोर्स' कहलाता है। टी बॉक्स से पट्टीग ग्रीन तक पहुंचने के लिये खिलाडी द्वारा मारे गये स्ट्रोक की गणना उस होल को हारने या जीतने की गणना से तय होती है। वहां से शुरू होता है अगला होल और यह क्रम अठारवे होल तक पहुंच का खिलाडी को जीतना या हारना तय करता है और इसे एक 'राऊंड' कहा जाता है। टीबॉक्स, फेयरवे पट्टीग ग्रीन की रख रखाव की मशीने किसी मर्सडीज, बीएमडब्ल्यू आदि कारों से कम कीमती नहीं होती है और औसतन तीस से नब्बे लाख रूपये की होती है। इसी प्रकार पट्टीग ग्रीन की रख रखाव मे औसतन लाख रूपये महीने का खर्चा आता है जो कि फंगी साईड, पेस्टी साईड, वर्मी साईड, कुशल घास काटने वाले, पानी और खाद देने वाले कर्मचारियों की तन्ख्वाह आदि होती है।

गोल्फ खिलाडी और नियम-

गोल्फ खेलने के लिये खिलाडी को लगभग छह किलोमीटर दूरी पैदल चलकर तय करनी होती है और लगभग दो सौ से ढाई सौ बार बल्ले की सहायता से बॉल को मारना और मारने से पहले अभ्यास करना पडता है जो कि एक शारीरिक व्यायाम होता है। यह व्यायाम एक यौगिक क्रिया की भांति चुप रहकर, सहज और संयम से एक एक बॉल के शॉट का चुनाव कर उसे खेलने का व्यायाम है जो कि आपके मानसिक संतुलन को विकसित करता है।

कहते है कि यदि आपको किसी व्यक्ति के स्वभाव और मानसिक क्षमता को जांचना है तो उसके साथ गोल्फ का एक राऊंड, जो कि अठारह होल का होता है, खेलना चाहिए। गोल्फ के शिष्टाचार विश्व में एक प्रकार के होते है और इसका अनुसरण नहीं करने पर दंडित किये जाने का प्रावधान होता है। दंड का मतलब है कि आपको खेल में एक या दो स्टोक लगा कर आपके स्कोर में जोड दिये जाते है। गोल्फ में कम स्ट्रोक से खेल कर ही आप अपने प्रतिद्वंदी से जीत जाते है। गोल्फ खिलाडी की वरियता उसे मिले हैण्डी केप द्वारा की जाती है जो कि उसके खेलने की शैली और क्षमता/दक्षता का एक सूचकांक है जैसे कि जीरो-एक-दो-तीन हैण्डी केप के खिलाडी पांच, छह, सात हैण्डी केप की तुलना में बेहतर खेलते है। इसी प्रकार हैण्डी केप बढने पर आप खेल का स्तर औसतन या निम्न होता है। गोल्फ के खेल में 28 हैण्डी केप नौसिखिय को दिया जाता है जो कि धीरे-धीरे खेल के अभ्यास से कम होने लगता है। गोल्फ के खेल में कम हैण्डी केप वाले खिलाडी, ज्यादा हैण्डी केप के खिलाडी को कुछ कठिन जगह पर एक स्ट्रोक देकर अपने अंको को बढाकर, एक प्रकार से प्रतिद्वंदी को हौसला देते है।

यह एक ऐसा खेल है जहां आपको अठारह होल में कई मौके मिलते है जिससे कि खिलाडी गलती को सुधार सकते है। गोल्फ के खेल में केवल खिलाडी ही अपनी अच्छे और औसत खेल का उत्तरदायी होता है यानि की उसके खेलने के तरीके में कोई भी सहयोगी या सहायक नही होता है। एक बॉल को बल्ले द्वारा मारने से पहले करीब चालीस नियम याद करने होते है और उसके लिये समय होता है - मात्र दस सैकेंड।

गोल्फ का भविष्य-

राजस्थान गोल्फ टीम के कुछ ही युवा खिलाडी, देश-विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय खिलाडी है, इती चौधरी, खुशी खनीजाऊ, शिक्षा जैन, अफसान फातिमा, पल्लवी जैन, प्रखर असावा, हेमेन्द्र चौधरी, गिरीराज थापा आदि खिलाडी है जिन्होंने ने राज्य और रामबाग गोल्फ क्लब का नाम ऊंचा किया है। गोल्फ का अभ्यास व खेलने के बल्ले, बॉल, जूते आदि बहुत महंगे होने के कारण बहुत से युवा खिलाडी इसे खेलने से दूर हो जाते है।

दूसरा कारण है कि राज्य में केवल रागबाग गोल्फ क्लब के अलावा इस खेल का अभ्यास करने के लिये कोई और जगह नहीं है। अन्य राज्यों या शहरों की तुलना में राजस्थान का एक मात्र गोल्फ कोर्स युवा खिलाडियों को प्रोत्साहन देने के लिये काफी नहीं है। जगह के अभाव से गोल्फ कोर्स की अभ्यास क्षेत्र, डांईविंग रेंज, का अभाव है। संकट के बादल अभी और गहराते दिख रहे है। जब हाईकोर्ट और आसपास के कार्यालयों की कार पार्किंग के लिये गोल्फ कोर्स के एक बडे हिस्से में भूमिगत पार्किंग की शुरूआत होने जा रही है। यह पार्किंग की जगह एक शुरूआती होल को बंद करके उसकी जगह पार्किंग बनाकर गोल्फ के एक राउंड में से एक होल कम कर देने से होगी। यह ऐसा होगा जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड को छोटा करके चौके और छक्के को अमान्य कर दिया जाए। इस समस्या का हल भी गोल्फ कोर्स में से निकालना होगा।

समस्या का समाधान-

कई वर्षों पूर्व राज परिवार द्वारा पोलो के घोडों की रख रखाव के लिये एक घुडसाल का प्रावधान गोल्फ क्लब के मध्य में किया था। यह घुडसाल कुछ वर्ष पूर्व खाली किये जाने पर चारों तरफ से घिरी यह जमीन गोल्फ कोर्स के मध्य में उपेक्षित पडी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह भी जे.डी.ए. की स्वामित्व होने पर केवल औपचारिक रूप से गोल्फ क्लब को देनी बाकी है यदि यह जमीन गोल्फ क्लब में मिला दी जाती है तो एक होल कि पार्किंग की वजह से क्षति हो रही थी उसकी पूर्ति हो जायेगी। सेन्टंल पार्क हो या पोलो क्लब या फिर गोल्फ क्लब यह जमीन जे.डी.ए. के स्वामित्व में है। जमीन दाएं हाथ से बाएं हाथ में जाने से सभी का लाभ होता दिख रहा है। पार्किंग की समस्या भी सुलझती दिखती है और गोल्फ की पूर्ण कोर्स होने की पात्रता।

–विक्रम जोशी

मालपुरा में निकली भगवान शिव की बारात में शिव ने गणों के साथ ताण्डव व भस्म नृत्य किया

- **तीन दिवसीय शिवरात्री महोत्सव में छत्रेश्वर महादेव विकास समिति ने शिव बारात निकाली**
- **शिव ताण्डव, शिव भस्म, अग्नि चक्र सहित अनेक शिव भजनों पर भस्म नृत्य देखकर भक्त हुए मंत्रमुग्ध**

बाबा जॉनी महाकाल आर्ट क्लब अलवर के कलाकारों ने बारात में भगवान शिव के स्वरूप सहित गणों का स्वरूप धारण किया।

मालपुरा, (निसं)। तीन दिवसीय शिवरात्री महोत्सव के अन्तर्गत गुरूवार को छत्रेश्वर महादेव विकास समिति मालपुरा के तत्वाधान में मालपुरा में शिव बारात निकाली गई।

महेश सेवा सदन से बैण्डबाजों के लवाजमे के साथ सजीव महाकाल की बारात को पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार जैन, भाजपा अध्यक्ष त्रिलोक जैन सहित आयोजन समिति व शहर के गणमान्य नागरिकों ने भगवा ध्वज दिखा रवाना किया।

कडे पुलिस जाप्ते की निगरानी में निकली बाबा महाकाल की शिव बारात में पहुंचे बाबा जॉनी महाकाल आर्ट क्लब अलवर के कलाकारों ने भगवान शिव के स्वरूप सहित भगवान शिव के गणों का स्वरूप धारण कर नवीन मंडी, सुभाष सर्किल, गांधी पार्क, ख्वासजी का कटला, आजाद चौक सहित शहर के प्रमुख चौराहों पर शिव ताण्डव, शिव भस्म, अग्नि चक्र सहित अनेक शिव भजनों पर भस्म नृत्य कर शिव भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

नृत्य के दौरान शोभायात्रा में शामिल बजरंग दल, शिव कावड यात्रा, गोरक्षा दल व विहिप कार्यकर्ताओं के साथ-साथ युवाओं ने भगवा ध्वज लहराते हुये बाबा महाकाल के जयकारों से समूचे शहर को गुंजायमान कर दिया। पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने पार्षद व महिला टीम के साथ बाबा महाकाल के संग पुष्पवर्षा की। शहर में जगह-जगह शिव बारात पर हजारों किलो फूलों से पुष्पवर्षा की गई।

छत्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंची शिव बारात का समिति के राजेन्द्र सेन, पवन संगम, लेखराज सोनी, राजेश सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने जोरदार स्वागत कर महाआरती की। मालपुरा में पहली बार निकली शिव बारात को देखने शिव भक्त उमडे। केकडी रोड सीतारामजी की बगीची संत अनिल दास महाराज के सानिध्य मे त्रिम्केश्वर महादेव मंदिर मे भजन संध्या का आयोजन किया गया।

पुरानी तहसील मालियो की बगीची में आयोजित तीन दिवसीय शिखर कलश स्थापना समारोह के अन्तर्गत मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। शुक्रवार को विशाल कलश यात्रा व हाथी-घोडों के लवाजमे के साथ जूलूस निकाल कलश स्थापना होगी।

राशिफल शुक्रवार 8 मार्च, 2024

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, श्रवएर नक्षत्र दिन 10:41 तक, शिव योग रात्रि 12:16 तक, गर करण दिन 11:39 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 9:20 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मकर, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 10:41 तक है। भद्रा रात्रि 9:58 से आरम्भ होगी। आज प्रदोष व्रत, महाशिवरात्री व्रत, वैधनाथ जयन्ती, कृत्तिका वागेश्वर दर्शन पूजा, चतुर्दश ज्योतिर्लिंग पूजा है। पंचक रात्रि 9:20 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:15 तक, लाभ-अमृत 8:15 से 11:10 तक, शुभ 12:38 से 2:05 तक, चर 5:00 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:47, सूर्यास्त 6:28

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा।

कर्क
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कन्या
व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मकर
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कुंभ
आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। परिवार में आपसी वाद-विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक कारणों से अटके व्यावसायिक हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।